

--:: प्रयास आवासीय विद्यालय कक्षा 9वीं में प्राक्चयन परीक्षा का विवरण (वर्ष 2026-27) ::--

मांग संख्या-41 अंतर्गत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं में प्राक्चयन परीक्षा के माध्यम से प्रवेश हेतु स्वीकृत सीट का विवरण

क्र.	संस्था/जिला	सीट संख्या (परिवर्तनशील)		
		बालक	कन्या	योग
1	प्रयास बालक आवासीय विद्यालय, सड्डू जिला-रायपुर	200	—	200
2	प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय, गुड़ियारी जिला-रायपुर	—	155	155
3	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, जिला-बिलासपुर	75	50	125
4	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, जिला-दुर्ग	75	50	125
5	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, जगदलपुर जिला-बस्तर	75	50	125
6	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, अंबिकापुर जिला-सरगुजा	75	50	125
7	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, जिला-बालोद	75	50	125
8	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, जिला-कांकेर	50	50	100
9	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, जिला-कोरबा	50	50	100
10	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, जिला-जशपुर	50	50	100
11	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, जिला-रायगढ़	75	50	125
12	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, जिला-राजनांदगांव	75	50	125
13	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, जिला-बलरामपुर	75	50	125
योग		950	705	1655

योजना अंतर्गत शामिल क्षेत्र :-

मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना (संशोधित) नियमावली 2020 अंतर्गत प्रवेश परीक्षा में निम्नांकित क्षेत्र के विद्यार्थी इस प्राक्चयन परीक्षा में शामिल होने हेतु आवेदन कर सकते हैं -

1. प्रदेश के सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र में स्थित शासकीय/अशासकीय शालाएं
(अनुसूचित क्षेत्र हेतु परिशिष्ट - 'अ' देखें)

2. नक्सल प्रभावित (केवल LWE) घोषित ऐसे जिले अथवा नक्सल प्रभावित जिले के ऐसे भू-भाग जो अनुसूचित क्षेत्र में शामिल नहीं है वहां पर आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में स्थित शासकीय/अशासकीय शालाएं (नक्सल प्रभावित जिले हेतु)

परिशिष्ट - 'ब' एवं आदिवासी उपयोजना क्षेत्र हेतु परिशिष्ट - 'स' देखें)

3. विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (कमार, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, अबूझमारिया, पण्डो तथा भुजिया) के विद्यार्थियों हेतु, सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश क्षेत्र के रूप में मान्य होगा।

(परिशिष्ट - 'द' देखें)

टीप:- प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र, नक्सल प्रभावित जिलें तथा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र तथा विशेष रूप से कमजोर जनजाति की सूची परिशिष्ट 'अ', 'ब', 'स' 'द' अनुसार है। सूची से क्षेत्र में स्थित शाला जहाँ विद्यार्थी अध्ययनरत है की पुष्टि करने के उपरांत पात्रता होने पर आवेदन करें।

प्रवेश में आरक्षण -

(अ) मांग संख्या-41 अंतर्गत संचालित - अनुसूचित क्षेत्रों/उपयोजना क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग हेतु निम्नानुसार सीटें निर्धारित होंगी -

क्र.	वर्ग	निर्धारित सीट का प्रतिशत
1	अनुसूचित जनजाति	53%
2	विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (PVTG)	04%
3	अनुसूचित जाति	13%
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	20%
5	सामान्य वर्ग	10%
6	अल्पसंख्यक वर्ग हेतु बालक प्रयास रायपुर	10 सीट
7	अल्पसंख्यक वर्ग हेतु कन्या प्रयास रायपुर	10 सीट

टीप-

- i. सीट रिक्त रहने पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग परस्पर परिवर्तनशील होगा।
- ii. सामान्य वर्ग की सीट रिक्त रहने पर निम्नांकित प्राथमिकता क्रम में रिक्त सीटों को भरा जाएगा –
प्रथम प्राथमिकता – अनुसूचित जनजाति
द्वितीय प्राथमिकता – अनुसूचित जाति
तृतीय प्राथमिकता – अन्य पिछड़ा वर्ग
- iii. अल्पसंख्यक वर्ग की सीट रिक्त रहने पर अनुसूचित जनजाति वर्ग से सीट भरी जाएगी।

मांग संख्या-64 अंतर्गत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं में प्राक्चयन परीक्षा के माध्यम से प्रवेश हेतु स्वीकृत सीट का विवरण

अनुसूचित जाति प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय

क्र.	संस्था / जिला	सीट संख्या (परिवर्तनशील)		
		बालक	कन्या	योग
1	अनुसूचित जाति बालक प्रयास आवासीय विद्यालय, पाटन जिला-दुर्ग	125	0	125
2	अनुसूचित जाति कन्या प्रयास आवासीय विद्यालय, रायपुर जिला-रायपुर	0	125	125
योग		125	125	250

योजना अंतर्गत शामिल क्षेत्र :-

- (i) इस योजना अंतर्गत विद्यार्थी को छ.ग. राज्य के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 8वीं प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण होना चाहिये।
- (ii) छ.ग. राज्य का मूल निवासी हो।
- (iii) छ.ग. राज्य के लिये घोषित अनुसूचित जाति वर्ग का स्थाई प्रमाण पत्र धारक होना चाहिए।
- (iv) राज्य के किसी भी विद्यालय से विद्यार्थी को अनुशासनहीनता के आरोप में विद्यालय से निष्कासित ना किया गया हो।

सीट का आरक्षण :-

विद्यालय की कुल स्वीकृत सीट (125 सीट) अनुसूचित जाति वर्गों में से विशेष परिस्थिति वाले विद्यार्थियों के लिए सीट का आरक्षण :-

क्र.	वर्ग	आरक्षित सीट संख्या
01	दिव्यांग विद्यार्थी	06
02	दिव्यांग माता पिता के बच्चे	03
03	अनाथ बच्चे	03
04	विधवा माता के बच्चे	03
05	परित्यक्ता महिला के बच्चे	03
06	देश की रक्षा करते हुए या अपने कर्तव्य निर्वहन करते समय पुलिस/अर्द्धसैनिक/सशस्त्र बल सैनिक के शहीद के बच्चे	07
कुल		25

उपरोक्त विशेष परिस्थिति वाले बच्चों के लिए आरक्षित विभिन्न वर्गों में बच्चे न मिलने पर विशेष वर्ग में ही आपस में परिवर्तनीय होगा। जिसका निर्धारण प्रवेश समिति द्वारा किया जायेगा। विशेष वर्ग के अन्तर्गत परिवर्तन के माध्यम से सीट रिक्त रह जाने की स्थिति में सामान्य अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों से भरी जायेगी।

मांग संख्या-66 अंतर्गत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं में प्राक्चयन परीक्षा के माध्यम से प्रवेश हेतु स्वीकृत सीट का विवरण

अन्य पिछड़ा वर्ग प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय

क्र.	संस्था/जिला	सीट संख्या (परिवर्तनशील)		
		बालक	कन्या	योग
1	अन्य पिछड़ा वर्ग बालक प्रयास आवासीय विद्यालय, रायपुर जिला-रायपुर	125	0	125
2	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या प्रयास आवासीय विद्यालय, बिलासपुर जिला-बिलासपुर	0	125	125
योग		125	125	250

योजना अंतर्गत शामिल क्षेत्र :-

- (i) इस योजना अंतर्गत विद्यार्थी को छ.ग. राज्य के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 8वीं प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण होना चाहिये।
- (ii) छ.ग. राज्य का मूल निवासी हो।
- (iii) छ.ग. राज्य के लिये घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थाई प्रमाण पत्र धारक होना चाहिए।
- (iv) राज्य के किसी भी विद्यालय से विद्यार्थी को अनुशासनहीनता के आरोप में विद्यालय से निष्कासित ना किया गया हो।

सीट का आरक्षण :-

विद्यालय की कुल स्वीकृत सीट (125 सीट) अन्य पिछड़ा वर्गों में से विशेष परिस्थिति वाले विद्यार्थियों के लिए सीट का आरक्षण :-

क्र.	वर्ग	आरक्षित सीट संख्या
01	दिव्यांग विद्यार्थी	06
02	दिव्यांग माता पिता के बच्चे	03
03	अनाथ बच्चे	03
04	विधवा माता के बच्चे	03
05	परित्यक्ता महिला के बच्चे	03
06	देश की रक्षा करते हुए या अपने कर्तव्य निर्वहन करते समय पुलिस/अर्द्धसैनिक/सशस्त्र बल सैनिक के शहीद के बच्चे	07
कुल		25

उपरोक्त विशेष परिस्थिति वाले बच्चों के लिए आरक्षित विभिन्न वर्गों में बच्चे न मिलने पर विशेष वर्ग में ही आपस में परिवर्तनीय होगा। जिसका निर्धारण प्रवेश समिति द्वारा किया जायेगा। विशेष वर्ग के अन्तर्गत परिवर्तन के माध्यम से सीट रिक्त रह जाने की स्थिति में सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों से भरी जायेगी।

**वर्ष 2026-27 में प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु
प्रधानपाठक/प्राचार्य का सत्यापन**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी..... पिता.....
वर्तमान में विद्यालय के कक्षा 8वीं में वर्ष 2025-26 में अध्ययनरत्
है। यह विद्यालय ग्रामग्राम पंचायत.....विकास
खण्ड..... जिला.....में संचालित है। विद्यार्थी द्वारा आवेदन
पत्र पर दी गई जानकारी सत्य एवं सही है।

प्राचार्य/प्रधानपाठक का
पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज/अभिलेखों की सूची :-

क्रं.	अभिलेखों की सूची	संलग्न कर (सही का चिन्ह) अंकित करे
1	छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने का सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र।	
2	सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र	
3	वर्ष 2025-26 में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत् होने संबंधी प्रधान पाठक/प्राचार्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र	
4	यदि परिवार नक्सल हिंसा से सीधे प्रभावित है तो इस आशय का संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र	

टीप:-सक्षम प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त/प्रयास विद्यालय में प्रवेश से वंचित किया जा सकेगा। इस हेतु किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला—(छत्तीसगढ़)

क्रमांक/पु.अ./...../...../2026-27

दिनांक...../.../2026

// नक्सल पीड़ित प्रमाण-पत्र //

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका श्री/कु.आत्मज/आत्मजा ...
.....ग्राम.....पोस्ट.....तहसील.....जिला.....
.....(छ.ग.) का निवासी है। आवेदक/आवेदिका के पिता/माता/भाई/बहन (नाम)
.....को नक्सलियों द्वारा दिनांकको (घटना का नाम)के रूप में पीड़ित
किया गया है। उक्त घटना के संबंध में थानाजिलामें अपराध क्र.
.....धाराके अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध है।

आवेदक/आवेदिका श्री/कु.जो पीड़ित श्री/श्रीमती
सेसंबंध (रिश्ता) है। अतःनक्सल पीड़ित होने से यह प्रमाण-पत्र
प्रदाय किया जाता है।

हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

पुलिस अधीक्षक
जिला—.....(छ.ग.)

**प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु अल्पसंख्यक वर्ग होने हेतु
शपथ—पत्र**

(रूपये 10 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित हो)

1. मैंआत्मज श्रीआयु
निवासी/पता.....शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि मैं एवं मेरे परिवार के
सदस्य केन्द्र सरकार द्वारा घोषित अल्पसंख्यक समुदाय अंतर्गत(मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख,
बौद्ध, पारसी, जैन) का सदस्य हूँ।
2. मैं अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत
संचालित योजनाओं का लाभ नहीं ले रहा/रही हूँ।
3. यदि उक्त तथ्य के संबंध में कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो शासन द्वारा मुझे संबंधित योजना में
स्वीकृत राशि एक मुश्त वसूली योग्य होगी एवं राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में
अल्पसंख्यक वर्ग हेतु देय सुविधाओं से वंचित किया जा सकेगा। यह शपथ—पत्र मैं स्वयं के
लिए/परिवार के सदस्य (नाम/संबंध).....के लिए प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

(नाम—.....)

गवाह के हस्ताक्षर नाम/पता/मो. नं.

1

2.....

स्थान:

दिनांक: